

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -281/2023

अनवान : -

1. हितेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नोहर तहसील।
2. सौरभ जाखड़ पुत्र सुरेन्द्र जाखड़ जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर

- वादीगण

बनाम्

1. इन्द्रावती पुत्री ज्याना देवी जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक: 9/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 58/57 के खसरा नं. 276 का कुल क्षेत्रफल 2.9850 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 59/58 के खसरा नं. 279 का कुल क्षेत्रफल 6.7780 है0 भूमि में से 822/3389 हिस्सा व चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 244/236 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 31.1990 है0 भूमि में से 1/14 हिस्सा व खाता संख्या 64/64 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.9670 है0 भूमि में से 6197/15934 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 214/220 के खसरा नं. 521 का कुल क्षेत्रफल 7.5880 है0 में से 2529/15176 हिस्सा व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 83/77 के खसरा नं. 295/1 का कुल क्षेत्रफल 4.8060 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार हैं।

वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार

रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 58/57 के खसरा नं. 276 का कुल क्षेत्रफल 2.9850 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 59/58 के खसरा नं. 279 का कुल क्षेत्रफल 6.7780 है0 भूमि में से 822/3389 हिस्सा व चक राजासर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 244/236 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 31.1990 है० भूमि में से 1/14 हिस्सा व खाता संख्या 64/64 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.9670 है० भूमि में से 6197/15934 हिस्सा भूमि उपरौक्त सभी खातो पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 214/220 के खसरा नं. 521 का कुल क्षेत्रफल 7.5880 है० में से 2529/15176 हिस्सा व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 83/77 के खसरा नं. 295/1 का कुल क्षेत्रफल 4.8060 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स० 1 जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया स० 1 को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीया संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स० 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 58/57 के खसरा नं. 276 का कुल क्षेत्रफल 2.9850 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 59/58 के खसरा नं. 279 का कुल क्षेत्रफल 6.7780 है० भूमि में से 822/3389 हिस्सा व चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 244/236 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 31.1990 है० भूमि में से 1/14 हिस्सा व खाता संख्या 64/64 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.9670 है० भूमि में से 6197/15934 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 214/220 के खसरा नं. 521 का कुल क्षेत्रफल 7.5880 है० में से 2529/15176 हिस्सा व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 83/77 के खसरा नं. 295/1 का कुल क्षेत्रफल 4.8060 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना

साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया सं० 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया सं० 1 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 58/57 के खसरा नं. 276 का कुल क्षेत्रफल 2.9850 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 59/58 के खसरा नं. 279 का कुल क्षेत्रफल 6.7780 है० भूमि में से 822/3389 हिस्सा व चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 244/236 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 31.1990 है० भूमि में से 1/14 हिस्सा व खाता संख्या 64/64 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.9670 है० भूमि में से 6197/15934 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 214/220 के खसरा नं. 521 का कुल क्षेत्रफल 7.5880 है० में से 2529/15176 हिस्सा व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 83/77 के खसरा नं. 295/1 का कुल क्षेत्रफल 4.8060 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...9/5/23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-थालड़का

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -281/2023

अनवान : -

1. हितेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी नोहर तहसील।
2. सौरभ जाखड़ पुत्र सुरेन्द्र जाखड़ जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर

- वादीगण

बनाम्

1. इन्द्रावती पुत्री ज्याना देवी जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 281 सन 2023 निर्णय दिनांक 09.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 58/57 के खसरा नं. 276 का कुल क्षेत्रफल 2.9850 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 59/58 के खसरा नं. 279 का कुल क्षेत्रफल 6.7780 है0 भूमि में से 822/3389 हिस्सा व चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 244/236 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 31.1990 है0 भूमि में से 1/14 हिस्सा व खाता संख्या 64/64 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.9670 है0 भूमि में से 6197/15934 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 214/220 के खसरा नं. 521 का कुल क्षेत्रफल 7.5880 है0 में से 2529/15176 हिस्सा व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 83/77 के खसरा नं. 295/1 का कुल क्षेत्रफल 4.8060 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...9.5.23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-थालड़का